

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 88

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1259.13	...	1259.13	2417.97	1.26	2419.23	3636.33	1.26	3637.59	5147.23	1.01	5148.24
<i>वसूलियां</i>	-256.81	...	-256.81	-1739.55	...	-1739.55	-2481.00	...	-2481.00
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	1002.32	...	1002.32	2417.97	1.26	2419.23	1896.78	1.26	1898.04	2666.23	1.01	2667.24
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.18	...	20.18	22.22	1.26	23.48	21.78	1.26	23.04	24.23	1.01	25.24
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	239.25	...	239.25	195.75	...	195.75	125.00	...	125.00	141.00	...	141.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3.01 कार्यक्रम घटक	750.74	...	750.74	2181.00	...	2181.00	1739.55	...	1739.55	2481.00	...	2481.00
	-12.28	...	-12.28
<i>निवल</i>	<i>738.46</i>	...	<i>738.46</i>	<i>2181.00</i>	...	<i>2181.00</i>	<i>1739.55</i>	...	<i>1739.55</i>	<i>2481.00</i>	...	<i>2481.00</i>
3.02 ईएपी घटक	4.43	...	4.43	19.00	...	19.00	10.45	...	10.45	20.00	...	20.00
3.03 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	1739.55	...	1739.55	2481.00	...	2481.00
3.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	-1739.55	...	-1739.55	-2481.00	...	-2481.00
<i>निवल</i>	<i>742.89</i>	...	<i>742.89</i>	<i>2200.00</i>	...	<i>2200.00</i>	<i>1750.00</i>	...	<i>1750.00</i>	<i>2501.00</i>	...	<i>2501.00</i>
कुल जोड़	1002.32	...	1002.32	2417.97	1.26	2419.23	1896.78	1.26	1898.04	2666.23	1.01	2667.24

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2022-2023			बजट 2023-2024			संशोधित 2023-2024			बजट 2024-2025		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	9.13	...	9.13	68.28	...	68.28	45.30	...	45.30	75.21	...	75.21
2. भूमि सुधार	239.25	...	239.25	176.17	...	176.17	105.42	...	105.42	126.90	...	126.90
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.18	...	20.18	22.22	...	22.22	21.78	...	21.78	24.23	...	24.23
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.26	1.26	...	1.26	1.26	...	1.01	1.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	268.56	...	268.56	266.67	1.26	267.93	172.50	1.26	173.76	226.34	1.01	227.35
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	239.58	...	239.58	197.08	...	197.08	264.11	...	264.11
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	736.51	...	736.51	1864.22	...	1864.22	1491.29	...	1491.29	2121.78	...	2121.78
7. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	-2.75	...	-2.75	47.50	...	47.50	35.91	...	35.91	54.00	...	54.00
जोड़-अन्य	733.76	...	733.76	2151.30	...	2151.30	1724.28	...	1724.28	2439.89	...	2439.89
कुल जोड़	1002.32	...	1002.32	2417.97	1.26	2419.23	1896.78	1.26	1898.04	2666.23	1.01	2667.24

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग की सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** यह प्रावधान एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए है, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जिससे अन्य बातों के साथ - साथ जो लाभ होंगे वे हैं (i) भूमि पर वास्तविक समय जानकारी में सुधार (ii) भूमि संसाधनों का अनुकूल उपयोग (iii) भूस्वामियों एवं संभावित भूस्वामियों दोनों को लाभ; (iv) पॉलिसी एवं प्लानिंग में सहायता; (v) भूमि विवादों को कम करना; (vi) धोखाधड़ी/ बेनामी के लेन-देन की जांच करना (vii) राजस्व / पंजीकरण कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता को समाप्त करना (viii) विभिन्न संगठनों/ एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने में सक्षम होना।

3. **वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** भूमि संसाधन विभाग का फोकस, प्रयास और जोर डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआईएलआरएमपी) के तत्वावधान में देश के सभी जिलों में एक उपयुक्त एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएलआईएमएस) बनाने पर है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ (i) भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी सुधरेगी (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा (iii) भूमि मालिकों और संभावितों दोनों को लाभ होगा (iv) नीति और योजना में सहायता मिलेगी (v) भूमि विवाद सहज कम होंगे, (vi) धोखाधड़ी / बेनामी लेनदेन की जांच होगी, (vii) सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों और लिकेज सहज और सक्षम होगा और (viii) भूस्वामी, संबंधित कार्यालयों/एजेंसियों, और हितधारक व्यक्तियों/उद्यमियों को किसी भूखंड की उचित और व्यापक स्थिति देने हेतु सभी उपलब्ध और संगत सूचना ऑनलाइन सिंगल विंडो ऐट-ए-ग्लॉस पहुँच प्रदान करेगा। विभाग का प्रयास विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) या भू-आधार जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रशासन के क्षेत्र में निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है, जो भूमि पार्सल की पहचान की एक एकीकृत प्रणाली है, जो किसी भी भूमि पार्सल पर जानकारी की सच्चाई का एकल

आधिकारिक स्रोत या संपत्ति नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए और राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) या ई-पंजीकरण जो देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक सामान्य, और विन्यास योग्य एप्लिकेशन है।

नोट : इस प्रावधान में 9.47 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जिसको भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया गया था, यह वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों को संसद द्वारा पारित किए जाने और संबंधित विनियोग अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद भारत की आकस्मिकता निधि में वापिस कर दिए जाएंगे